

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रसाद,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री राकेश रौशन,

पिता- श्री शशि धर ठाकुर,

पता- मौजमपुर, पो०- मंझगाई,

जिला- मुंगेर (बिहार)-813221

पटना-01, दिनांक-

विषय :- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 68वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1588 दिनांक 09.05.2024 एवं पत्रांक 824 दिनांक 06.03.2024।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 68वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु की गयी अनुशंसा को दृष्टिपथ में रखते हुए आपकी अभ्यर्थिता निम्नांकित कारणों से रद्द की जाती है :-

| क्र० सं० | अभ्यर्थी का नाम                                          | अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | श्री राकेश रौशन,<br>अनुक्रमांक-326755<br>मेधा क्रमांक-39 | प्रासंगिक पत्रों द्वारा बार बार आपसे (i) बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्गत प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र (ii) आवासीय प्रमाण-पत्र, (iii) स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं (iv) शपथ पत्र की माँग की गयी थी परन्तु अंतिम रूप से निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा न तो वांछित कागजात प्रस्तुत किया गया और न ही विभाग को किसी प्रकार की सूचना दी गयी गयी। इससे प्रतीत होता है कि आपको राज्य सरकार की सेवा में आने में कोई रुची नहीं है। |

विश्वासभाजन,

ह०/-

( सत्येन्द्र प्रसाद )

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-06/2024.....1019/श्र०सं० पटना-01, दिनांक-24/3/25

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 108 दिनांक 21.02.2024 के आलोक में/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी